



## डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय

• जन्म	14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश, भारत में
• जन्म का नाम	भिवा, भीम, भीमराव
• अन्य नाम	बाबासाहेब अंबेडकर
• राष्ट्रियता	
• धर्म	बौद्ध धर्म
• मृत्यु	6 दिसम्बर 1956 (उम्र 65) डॉ. आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नयी दिल्ली, भारत
• व्यवसाय	वकील, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ
• जीवन साथी	<b>रमाबाई अंबेडकर</b> (विवाह 1906- निघन 1935) <b>डॉ० सविता अंबेडकर</b> ( विवाह 1948- निघन 2003)

## समाधि स्थल

चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र

## पुरस्कार/ सम्मान

- बोधिसत्व (1956)
- **भारत रत्न (1990)**
- पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देअर टाईम (2004)
- द ग्रेटेस्ट इंडियन (2012)

## राजनीतिक संबद्धताएं

## सामाजिक संगठन:

- बहिष्कृत हितकारिणी सभा
- समता सैनिक दल

## शैक्षिक संगठन:

- डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी
- द बाँबे शेड्युल्ड कास्ट्स इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट
- पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी

## धार्मिक संगठन:

भारतीय बौद्ध महासभा


## राजनीतिक दल

शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन  
स्वतंत्र लेबर पार्टी  
भारतीय रिपब्लिकन पार्टी



भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महु में **14 अप्रैल 1891** को हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वो अपने माता-पिता की चौदहवीं संतानों में से अंतिम संतान थे। उनका परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंबडवे गाँव का निवासी था, वो महार जाति से संबंध रखते थे, इसलिए उनको काफी भेदभाव सहना पड़ा था। उनके पिता ब्रिटिश सेना की महु छावनी में सेवारत थे। उनके पिता ने सातारा के स्कूल में उनका उपनाम **सकपाल** की जगह आंबडवेकर लिखवाया। जो उनके आंबडवे गाँव से संबंधित था। बाद में उनका उपनाम 'आंबेडकर' कर दिया।

**Full Form of Mhow** Military Headquarters Of War.



6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉ. भीम राव आंबेडकर की पुण्यतिथि है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक रहे बाब साहेब का निधन 06 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। अपने जीवनकाल में उन्होंने हिंदू धर्म में व्यास छूआछूत, दलितों, महिलाओं और मजदूरों से भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी।




शैक्षिक सम्बद्धता

- मुंबई विश्वविद्यालय (बी०ए०)
- कोलंबिया विश्वविद्यालय (एम०ए०, पीएच०डी०, एलएल०डी०)
- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एमएस०सी०, डीएस०सी०)
- ग्रेज इन (बैरिस्टर-एट-लॉ)

**भीमराव अंबेडकर के पास थीं 32 डिग्रियां, 11 भाषाओं के थे जानकार थे**

- प्राथमिक शिक्षा, 1902 सतारा, महाराष्ट्र मैट्रिकुलेशन, 1907, एलफिस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे फ़ारसी आदि
- इंटर 1909, एलफिस्टन कॉलेज, बॉम्बेपर्सियन और अंग्रेजी
- B.A, 1913, एलफिस्टन कॉलेज, बॉम्बे, बॉम्बे विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान
- M.A, 1915 समाजशास्त्र, इतिहास दर्शन, नृविज्ञान और राजनीति के साथ अर्थशास्त्र में मेजरिंग
- पी.एच.डी, 1917, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पी.एच.डी की उपाधि प्रदान की
- एम.एस.सी. 1921 जून, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन। थीसिस - 'ब्रिटिश भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण'
- बैरिस्टर-एट-लॉ (30-9-1920) ग्रेज इन, लंदन
- (1922-23) जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ने में कुछ समय बिताया
- D. SC Nov 1923, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन में रुपये की समस्या - इसका मूल और इसका समाधान अर्थशास्त्र में डिग्री के लिए स्वीकार किया गया था।
- एल.एल.डी. (होनोरिस कोसा) 5-6-1952 कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क में उनकी उपलब्धियों, नेतृत्व और भारत के संविधान को लिखने के लिए
- डी.लिट (ऑनोरिस कोसा) 12-1-1953 उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद उनकी उपलब्धियों के लिए, लीडर



○ उन्हें ग्यारह भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी (मातृभाषा), अंग्रेजी, हिन्दी, पालि, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फ़ारसी, फ्रेंच, कन्नड और बंगाली ये भाषाएँ शामिल हैं। धन्यवाद।



## पत्रिकाएँ:

- मूकनायक (1920)
- बहिष्कृत भारत (1927)
- समता (1929)
- जनता (1930)

## संगठन:

- बहिष्कृत हितकारिणी सभा (1923)
- इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (1936)
- अनुसूचित जाति संघ (1942)

## पुस्तकें:

- एनीहिलेशन ऑफ कास्ट
- बुद्ध और कार्ल मार्क्स
- द अनटचेबल: हू आर दे एंड व्हाय दे हैव
- बिकम अनटचेबल्स
- बुद्ध एंड हिज धम्म
- द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन
- The Problem Of Rupee रुपये की समस्या (उद्भव और समाधान)

## डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर

### योगदान

◆ वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिये **बहिष्कृत भारत समाचार** पत्र का प्रकाशन शुरू किया।

◆ **उन्होंने** मार्च 1927 में महार सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया।

◆ उन्होंने तीनों **गोलमेज़ सम्मेलनों** में भाग लिया।

◆ वर्ष 1932 में डॉ. अंबेडकर ने **महात्मा गांधी** के साथ **पुना पैक्ट** पर हस्ताक्षर किये जिसमें दलित वर्गों (कम्युनल अवार्ड) हेतु के विचार को त्याग दिया गया।अलग निर्वाचक मंडल

◆ वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया।

◆ वर्ष 1942 में डॉ. अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और

◆ वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया। वह **प्रारूप समिति के अध्यक्ष** थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है।

◆ डॉ. अंबेडकर वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने।

◆ **हिंदू कोड** बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।



## योगदान

### योगदान

भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने कई ऐसे काम किए, जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है


### मनुस्मृति दहन

25 दिसंबर, 1927, बाबासाहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को अस्वीकार करने के प्रतीक के रूप में जलाया "अछूतों" को सार्वजनिक जल तक पहुंच का अधिकार दिलाने और मानवता तथा सम्मान को अपनाने की लड़ाई थी। महिलाओं के अधिकारों और मुक्ति के कट्टर समर्थक बाबासाहेब के लिए सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाना एक राजनीतिक कार्रवाई थी। क्योंकि उनका मानना था कि पुस्तक में न केवल महिलाओं के प्रति बल्कि "अछूतों" के साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी अमानवीय व्यवहार का उपदेश देने वाले नियम शामिल हैं।

### महाड का सत्याग्रह

(अन्य नाम: चवदार तालाब सत्याग्रह व महाड का मुक्तिसंग्राम) भीमराव आंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। इस दिन को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग सम्मिलित हुए थे, सभी लोग महाड के चवदार तालाब पहुंचे और आंबेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब पानी पिया, फिर हजारों सत्याग्रहियों उनका अनुकरण किया। यह आंबेडकर का पहला सत्याग्रह था।

सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों को तालाब का पानी पाने के अधिकार नकारा गया था, जबकि सवर्ण हिंदू दलितों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। सभी हिंदू जाति समूहों एवं अन्य धर्म के लोग मुस्लिम, ईसाई तक भी उस तालाब का पानी पी सकते थे। ऐसी असमानता के विरोध में आंबेडकर ने क्रान्ति के पहली शुरुवात की। डाक्टर आंबेडकर के साथ इस आन्दोलन में उनके तीन कुत्ते भी साथ थे इस आन्दोलन में हिन्दूओं ने दलित लोगो का बहुत खून बहाया इस आन्दोलन में देश के सभी जगह से दलित एकत्रित हुए थे



योगदान

भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के गठन में भी अंबेडकर ने निभाई थी अहम भूमिका!

अंबेडकर ने भारतीय करेंसी पर एक किताब भी लिखी थी. RBI के गठन के लिए बने **हिल्टन यंग कमीशन(1925)** को उन्होंने एक रिपोर्ट भी पेश की थी.

हिल्टन यंग कमीशन के सदस्यों के हाथ में थी अंबेडकर की किताब

भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन अंबेडकर द्वारा ही तैयार किए गए गाइडलाइंस, वर्किंग स्टाइल और आउटलुक को लेकर तैयार किए गए कॉन्सेप्ट पर हुआ था. अंबेडकर ने यह कॉन्सेप्ट 'हिल्टन यंग कमीशन' के सामने पेश किया था. हिल्टन यंग कमीशन को 'रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस' भी कहा जाता है. जब भारत में इस कमीशन को लेकर काम शुरू हुआ, तब कमीशन के सभी सदस्यों के हाथ में एक किताब थी. इस किताब को डॉ. अंबेडकर ने लिखा था. इसका शीर्षक था, 'The Problem of the Rupee – Its origin and its Solution' यानी भारतीय रुपये की समस्या – इसकी उत्पत्ति व समाधान.

अंबेडकर के कॉन्सेप्ट पर तैयार हुआ RBI का वर्किंग स्टाइल और आउटलुक

कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट को केंद्रीय विधान सभा में पास किया गया. आरबीआई एक्ट में **केंद्रीय बैंक की जरूरत, वर्किंग स्टाइल और उसके आउटलुक** को अंबेडकर के उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया गया था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने पेश किया था. 25 अगस्त 1925 को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का गठन किया गया था. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त, 1926 को सबमिट कर दी थी. सितंबर 1926 के फेडरल रिज़र्व बुलेटिन में इस रिपोर्ट को संक्षेप में पब्लिश भी किया गया था 01 अप्रैल 1935 को भारत को रिज़र्व बैंक के रूप में अपना केंद्रीय बैंक मिल चुका था.

By:- Vishal Solanki (PK)

अंबेडकर के प्रतिवेदन के आधार पर ही आरबीआई का गठन हुआ। आरबीआई के मजबूत होने के कारण ही वैश्विक आर्थिक संकट के दौर में भी भारत बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुआ।

THE PROBLEM  
OF THE RUPEE  
ITS ORIGIN AND ITS SOLUTION

BY  
B. R. AMBEDKAR

Secretary Professor of Political Economy at the Sydenham College of Commerce and Economics, Bombay

'The Problem of the  
Rupee – Its origin  
and its Solution'

ROYAL COMMISSION ON INDIAN CURRENCY  
AND FINANCE.

VOL. I

REPORT

OF THE  
ROYAL COMMISSION ON INDIAN  
CURRENCY AND FINANCE.

रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड  
फाइनेंस

अंबेडकर के योगदान का आधिकारिक साक्ष्य




## क्या आप जानते हैं डॉ आंबेडकर ने भारत में महिलाओं के लिए क्या-क्या काम किए हैं ?



‘मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहां महिलाओं ने कितनी तरक्की की है’ महिलाओं के उत्थान के लिए बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर कितने गंभीर थे...ये बलाने के लिए उनका ये एक कथन ही काफी है। भारत में जब फेमिनिज्म यानी नारीवाद का कोई नाम भी दंग से नहीं जानता था, उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के ऐसे काम किए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं।

20वीं शताब्दी में बाबा साहब पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी लेकिन विडंबना देखिए... इतना सब कुछ करने के बाद भी बाबा साहब भारत में नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता और संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया जबकि महिलाओं की भलाई के लिए उनके जितने काम शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए हों। उनकी मॉडर्न थींकिंग और दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज महिलाओं को चार दीवारी में कैद रखे हुए था तब उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव दिलाई। आइए आपको बताते हैं कि महिलाओं की भलाई के लिए बाबा साहब ने क्या कुछ किया।



### 1. मैटरनिटी लीव (गर्भवती कामकाजी महिलाओं को छुट्टी)

आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉ आंबेडकर ने ही की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब अंबेडकर ने बॉम्बे लेजिसलेटिव असेंबली में महिलाओं की समस्या से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीकों से उठाया। इस दौरान उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। क्या आप जानते हैं कि 1942 में सबसे पहले **मैटरनिटी बेनेफिट बिल** डॉ. अंबेडकर द्वारा लाया गया था? इसके बाद 1948 के **Employees' State Insurance Act** के जरिए भी महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की गई। बाबा साहब ने ये काम उस वक्त कर दिया था जब उस जमाने के सबसे ताकतवर मुल्क भी इस मामले में बहुत पीछे थे। अमेरिका जैसे देश में साल 1987 में कोर्ट के दखल के बाद महिलाओं को मैटरनिटी लीव का रास्ता साफ हुआ था। अमेरिका ने साल 1993 में **Family and Medical Leave Act** बनाकर आधिकारिक रूप से कामकाजी महिलाओं को पेड मैटरनिटी लीव का इंतजाम किया था। लेकिन बाबा साहब बहुत आगे की सोचते थे और उसे हकीकत बना देते थे।



## 2. नारी शिक्षा (महिलाओं को पढ़ने का अधिकार)

• बाबा साहब ने शिक्षा के दम पर अपने असंख्य बच्चों का भविष्य संवारा था इसलिए बाबा साहब शिक्षा के महत्व को बखूबी जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ-साथ वो महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत ज़रूरी मानते थे। जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. प्रवेश कुमार के मुताबिक 1913 में न्यूयार्क में एक भाषण देते उन्होंने कहा था 'मां-बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। मां बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती हैं। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज़ होगी।' बाबा साहब का ये कथन पूरी तरह सच साबित हुआ। आज भारत की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं।

• बाबा साहब ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपने पिता के एक करीबी दोस्त को पत्र में लिखा था, उन्होंने लिखा 'बहुत जल्द भारत प्रगति की दिशा स्वयं तय करेगा, लेकिन इस चुनौती को पूरा करने से पहले हमें भारतीय स्त्रियों की शिक्षा की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने होंगे'

• 18 जुलाई 1927 को करीब तीन हजार महिलाओं की एक संगोष्ठी में बाबा साहब ने कहा कहा था 'आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना की पुरुषों के लिए। यदि आपको लिखना-पढ़ना आता है, तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला काम अपने घर में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित न रखने के संबंध में होना चाहिए। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाएं तो उन्हें ये कभी महसूस नहीं होगा।'

• भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की परंपरा को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया और महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी के लिए खूब प्रयास किए। मनु स्मृति में स्त्रियों को जड़, मूर्ख और कपटी स्वभाव का माना गया है और शूद्रों की तरह उन्हें अध्ययन से वंचित रखा गया लेकिन बाबा साहब ने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया।



### 3. लैंगिक समानता (महिला-पुरुष में कोई भेदभाव नहीं)

• बाबा साहब ने भारतीय नारी को पुरुषों के मुकाबले बराबरी के अधिकार दिए हैं। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का इंतजाम किया। **आर्टिकल 14 से 16** में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है।

• बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि 'किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा और ना ही उसके साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जा सकता है।' भारतीय संविधान के निर्माण के वक्त भी बाबा साहब ने महिलाओं के कल्याण से जुड़े कई प्रस्ताव रखे थे। इसके अलावा महिलाओं की खरीद-फरोख्त और शोषण के विरुद्ध भी बाबा साहब ने कानूनी प्रावधान किए। साथ ही बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्यों को विशेष कदम उठाने की इजाजत भी दी।

### 4. मताधिकार (वोट करने का अधिकार)

वोटिंग राइट्स को लेकर 20वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए। नारीवाद की पहली और दूसरी लहर में महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स की जबरदस्त मांग उठी लेकिन उस समय भारत में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट डालने का हक रखती हैं क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को समान मताधिकार दिलाया था।

अरस्तू से लेकर मनु तक ने महिलाओं को दोगुने दर्जे का नागरिक माना। मनुस्मृति काल में नारियों के अपमान और उनके साथ अन्याय की पराकाष्ठा थी। मनु स्मृति के अध्याय 9 के दूसरे और तीसरे श्लोक में लिखा है... 'रात और दिन, कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करें क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होने के लायक नहीं है' — मनु स्मृति (अध्याय 9, 2-3) लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान में उन्हें बराबरी के नागरिक अधिकार दिए।

स्विटजरलैंड जैसे देश में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला लेकिन बाबा ने संविधान बनाते वक्त ही महिलाओं को मताधिकार सुनिश्चित कर दिया।



## 5. तलाक, संपत्ति और बच्चे गोद लेने का अधिकार

• बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को वे अधिकार दिए जो मनुस्मृति ने नकारे थे। उन्होंने राजनीति और संविधान के जरिए भारतीय समाज में स्त्री-पुरुष के बीच असमानता की गहरी खाई पाटने का सार्थक प्रयास किया। जाति-लिंग और धर्मनिरपेक्ष संविधान में उन्होंने सामाजिक न्याय की कल्पना की है।

• **‘हिंदू कोड बिल’** के जरिए उन्होंने संवैधानिक स्तर से महिला हितों की रक्षा का प्रयास किया। इस बिल के 4 प्रमुख अंग थे—

1. हिंदुओं में बहू विवाह की प्रथा को समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान, जो विधिसम्मत हो।
2. महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और बच्चे गोद लेने का अधिकार देना।
3. पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार देना, हिंदू समाज में पहले पुरुष ही तलाक दे सकते थे।
4. आधुनिक और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत करना।

डॉ. आंबेडकर का मानना था— ‘सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा, जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी, जब उन्हें परिवार—समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक तरक्की उनकी इस काम में मदद करेगी’

लेकिन

डॉ राजेंद्र प्रसाद जैसे हिंदुओं की वजह से हिंदू कोड बिल पास ना हो सका। आखिरकार 7 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मकसद पूरा न होने पर सत्ता छोड़ देना निस्वार्थ समाजसेवी की पहचान है। ये बाबा साहब जैसे लोग ही कर सकते थे। बाद में 1955-56 हिंदू कोड बिल के प्रावधानों को **1. हिंदू विवाह अधिनियम, 2. हिंदू तलाक अधिनियम, 3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 4. हिंदू दत्तकगृहण अधिनियम** के रूप में अलग-अलग पास किया गया।

**महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, तलाक का अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही उन्हें दिलाया।** हिंदू ग्रन्थों के अनुसार ऐसी मान्यता थी कि अगर महिला अपने घर से डोली पर निकलती है तो वापस उसकी अर्थात् उठती है और विवाहित स्त्रियों का अपने पिता के घर वापस आना पाप माना जाता था लेकिन बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्रांति की शुरुआत कर दी थी।

**NOTE:-**

**By:- Vishal Solanki (PK)**

**1. हिंदू विवाह अधिनियम, 2. हिंदू तलाक अधिनियम, 3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 4. हिंदू दत्तकगृहण अधिनियम** के रूप में अलग-अलग पास किया गया। **5. महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में हिस्सेदारी देना, 6. तलाक का अधिकार और बच्चे गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही उन्हें दिलाया।**



## 6. महिला विरोधी कुरृतियों को समाप्त करना

•बाबा साहब ने असहाय महिलाओं को उठकर लड़ने की प्रेरणा देने के लिए बाल विवाह और देव दासी प्रथा जैसी घटिया प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्ष बाबा साहब की पत्नी रमाबाई थीं। 20 जनवरी 1942 को डॉ. भीम राव आंबेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें करीब 25 हजार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। उस समय इतनी भारी संख्या में महिलाओं का एकजुट होना काफी बड़ी बात थी।

बाबा साहब ने दलित महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा था *‘महिलाओं में जागृति का अटूट विश्वास है। सामाजिक कुरीतियां नष्ट करने में महिलाओं का बड़ा योगदान हो सकता है। मैं अपने अनुभव से यह बता रहा हूँ कि जब मैंने दलित समाज का काम अपने हाथों में लिया था तभी मैंने यह निश्चय किया था कि पुरुषों के साथ महिलाओं को भी आगे ले जाना चाहिए। महिला समाज ने जितनी मात्रा में प्रगति की है इसे मैं दलित समाज की प्रगति में गिनती करता हूँ।’*

•25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को सिर्फ इसलिए नहीं जलाया था कि इसमें शूद्रों के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी थीं, बल्कि उन्होंने उस घृणित किताब को इसलिए भी आग के हवाले किया था क्योंकि उसमें महिलाओं को भी गुलाम बनाने के तरीके लिखे थे। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो आंबेडकर संभवतः पहली शख्सियत रहे हैं, जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझने की कोशिश की। उनकी पूरी वैचारिकी के मंथन और दृष्टिकोण में सबसे अहम मंथन का हिस्सा महिला सशक्तिकरण था। भारतीय नारीवादी चिंतन और डॉ आंबेडकर के महिला चिंतन की वैचारिकी का केंद्र ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक व्यवस्था और समाज में व्याप्त परंपरागत धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं रही हैं, जो महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है।

•डॉ आंबेडकर ने कहा था, ‘मैं नहीं जानता कि इस दुनिया का क्या होगा, जब बेटियों का जन्म ही नहीं होगा।’ स्त्री सरोकारों के प्रति डॉ भीमराव आंबेडकर का समर्पण किसी जुनून से कम नहीं था। सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर और संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण लिए उनका योगदान पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद किया जायेगा।



मैं विशाल सोलंकी पिता श्री औतार सिंह सोलंकी

मैंने डॉक्टर श्री बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक PPT तैयार की है और मैंने इस PPT में ज्यादातर जानकारी इंटरनेट विकिपीडिया और गूगल से ली है और अन्य जानकारी मैंने किताबों से ली है अर्थात् इसमें थोड़ी कुछ गलतियां हो सकती हैं कृपया उन्हें इग्नोर करें।

नाम:- विशाल सोलंकी S/O श्री औरत सोलंकी

पता:- जिला मुरैना मध्य प्रदेश (भारत)...

NOTE:- कृपया मेरे **YOUTUBE (Vishal Solanki PK)** चैनल को **SUBSCRIBE** कर लीजिए चैनल **MONETIZE** होने के बाद में बहुजन समाज के लिए लिए वीडियो और PPT, PDF, तथा अच्छे विचार और बाबा साहेब तथा अन्य महापुरुषों के कंटेंट तैयार करके अपलोड करूंगा।

जय भीमा

जय नमो बुद्धाय!

SOCIAL MEDIA पर भी FOLLOW कर लीजिए सबको FOLLOW BACK कर दूंगा।

धन्याबाद

